संख्याः 1083/06 (वि.आ.निदे.) xxvii(1)/2021

प्रेषक,

सी. रवि. शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1 :: देहरादून :: दिनांकः 24 नवम्बर, 2021

विषयः-15वॉ वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत " शहरी स्वास्थ्य और एवं कल्याण केन्द्र (यूएचडब्ल्यूसी)" की योजना के लिए अनुदान की धनराशि अंतरित/ अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्याः F.15(42) FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 12.11.2021 के क्रम में 15वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत "शहरी स्वास्थ्य और एवं कल्याण केन्द्र-यूएचडब्ल्यूसी (Urban Health and Wellness Centers-Urban-HWCs)" की योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल ₹81,57,00,000.00 (₹इक्यासी करोड़ सत्तावन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-132/xxvii(6)/430/एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू कर दी गई। उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार धनराशि का आहरण कर संबंधित विभाग/संस्था को 15वें वित्त आयोग हेतु खोले गये खातों में हस्तान्तरित किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा किसी भी दशा में धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

ii. उपर्युक्त स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्याः F.15(2) FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 16.07.2021 द्वारा निर्गत परिचालन दिशा-निर्देशों में (अध्याय-7) निहित प्रावधानों से शासित होगा। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रतिवेदन, अवधि 2021-22 से 2025-26 के अध्याय-7 में की गई संस्तुतियों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत तकनीकी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र "शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द (यूएचडब्ल्यूसी)" हेतु संस्तुत अनुदान का उद्देश्य शहरी एचडब्ल्यूसी से कम आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को विकेन्द्रीकृत रूप से प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इसके फलस्वरूप, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की पहुँच कमजोर तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों तक बढ़ेगी। यह परिकल्पना की जाती है कि एचडब्ल्यूसी चिकित्सा प्रशासनिक स्टाफ और आवासीय कल्याण संघों/ ऐसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के लिए एक ऐसी कियाविधि सृजित करेंगे ताकि वे कम से कम एक माह में एक बार लोग स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सूचना का प्रसार कर सकें। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधा/ गतिविधि हेतु 15वें वित्त आयोग अनुदान से वित्त पोषित योजना का और अन्य योजनाओं जैसे:-एनएचएम (NHM) पीएमएएसबीवाई (PMASBY) आदि में पुनारावृत्ति/दोहरीकरण (Duplication) न हो।

iv. प्राप्तकर्ता इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के लिए एक अलग से बैंक खाता खोला गया है और इसे 2021-22 के दौरान ही पीएफएमएस (PFMS) के साथ जोड़ा गया है और इसके बाद पूर्ण अवार्ड अवधि में प्रत्येक लेनदेन को अनुरक्षित (Maintained) किया जायेगा।

v. अंतरित/अवमुक्त अनुदान को दस कार्य दिवस के भीतर संबंधित विभाग अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत संस्था को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/ राज्य विकास ऋण (SDLs) पर प्रभावी ब्याज दर के साथ ब्याज सहित किश्त जारी करनी होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/ संस्था का होगा।

vi. आयोग द्वारा उक्त अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवाओं के उन्नयन हेतु संस्तुत किया गया है, जिसका उपयोग उसी योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।

vii. आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गई कार्ययोजना के अनुसार ही योजनावार अनुदान की धनराशि का उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में शहरी विकास विभाग एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर धनराशि का पूर्ण सदुपयोग किया जायेगा।

viii. अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

ix. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

x. अंतरित धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित एनेक्सर–IX पर अनुदान स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर वांछित सूचना तत्काल संबंधित विभाग के सचिव (शहरी एवं चिकित्सा विभाग) से हस्ताक्षर कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे सचिव, वित्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। तदोपरान्त ही अगले वित्तीय वर्ष की धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी की जायेगी। इसके अतिरिक्त अंतरित/ अवमुक्त धनराशि के संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से हस्ताक्षर/ प्रतिस्ताक्षर कराकर दिनांकः 31 मार्च, 2022 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.), कमरा नं0–223, द्वितीय तल, विश्वकर्मा भवन, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 423/9(150) 2019 /xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 31 मार्च, 2021 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का सक्षम स्तर से परीक्षण एवं अनुमोदन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

xii. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 की आय–व्ययक के अनुदान संख्याः 07 के लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–19–शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

संख्याः —/06 (वि.आ.निदे.) xxvii(1)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमायू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
9. समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
12. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
13. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), सचिवालय परिसर, देहरादून।

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -	आवंटन आई डी-H21110070577
अनुदान संख्या-007	आवंटन पत्र दिनांक-24-NOV-2021

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-????? ????? ??????????? ??? ????????	01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
	19-शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	9

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	0	815700000	0	815700000
योग	0	815700000	0	815700000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.81,57,00,000 (Rupees Eighty One Crores Fifty Seven Lacs Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2111:0026

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(सी0 रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन